

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बाबूलाल

बनाम

सहायक अभियन्ता वगैरे

किरम मुकदमा:- दावा अधा. 188. आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:- 201 / 2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम में
जारी हुये

19.10.2023

वादी की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 20.11.2023 को पेश हो।

3235-37
20/10/23

20/11/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्तेन उपस्थित/
पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/
मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 19.11.2023 को पेश हो।

R

02.01.24

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिशाल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 19.01.2024 से तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा का पेश किया। जो शामिल मिशाल की गई। वकील वादी ने प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते तथा इसी स्तर पर विद्वा करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर विद्वा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Disg. m. m. m.

दिलीप सिंह



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)